

2026/27

(राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1958 के नियम 138 के अन्तर्गत)

राजस्व रेकार्ड में शुद्धि कराने का प्रपत्र

तलवारी का नका

क्र. सं.	खाता सं०	खसरा नंबर	रकबा	वर्तमान खाते का विवरण	प्रस्तावित प्रविष्टि	वि०वि०
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1	13	417	1.416	<p>घैला पुग सुरमा            धारि - गारासिगा            सा. लेट            रदन - रामस्थान गरागा            वामीठा केडे शारवा            मानपुर</p>	<p>घैला पुग सुरमा            धारि - गारासिगा            सा. लेट            रदन - रामस्थान            वामीठा केडे            शारवा - मानपुर</p>	

मुतादिक मिसल (जमाबन्दी, सपत 1975, 1976, 1977, 1978) के उपरोक्तानुसार हिस्सा शुद्ध किया जाना प्रस्तावित है। प्रकरण अन्तर्गत धारा 138 राज० भू० राजस्व अधिनियम 1958 के तहत श्रीमान उपखण्ड अधिकारी महोदय अलपर के समक्ष श्रवण योग्य है।

साबिक राजस्व रिकॉर्ड से मिलान किया गया। रिपोर्ट पदमारी पूर्ण है। अतः उपरोक्तानुसार खातों में शुद्धि किया जाना उचित है।

प०हल्का वाराणसी  
 भू०अ०नि० वाराणसी  
 की रिपोर्ट व साबिक रिकॉर्ड के मिलान के आधार पर उपरोक्तानुसार शुद्ध किया जाना उचित है। प्रकरण बन्दोबस्त सक्रियताओं के दौरान/पूर्व का होने से श्रीमान उपखण्ड अधिकारी महोदय अलपर को सादर प्रेषित है।

प०हल्का वाराणसी  
 भू०अ०नि० वाराणसी  
 राजस्व अधिकारी की रिपोर्ट व साबिक रिकॉर्ड के आधार पर उपरोक्तानुसार शुद्धीकरण किये जाने के आदेश प्रदान किये जाते हैं। हाल जमाबन्दी में अमल किया जावे।

दिनांक 19/11/2024  
 प्रखण्ड अधिकारी

दिनांक 19/11/2024  
 तहसीलदार

दिनांक 19/11/2024  
 तहसीलदार आबूरोड  
 उपखण्ड अधिकारी  
 जिला-सिरोही  
 उपखण्ड कार्यालय, आबूरोड